

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप०।

आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री ऐ०बी० पाराशर उप०।

फरियादी शिवराज सिंह एवं आहत रायसिंह उप०।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि प्रकरण में आरोपी रामजीलाल पर भा०द०सं० की धारा 294, 323 दो शीर्ष एवं 506 भाग-2 एवं आरोपी चंद्रशेखर तथा बनवारी लाल पर भा०द०सं० की धारा 294, 323, 323/34 एवं 506 भाग-2 अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं। राजीनामा पूर्व में तस्दीक किया जा चुका है। फरियादी एवं आहत ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा लोकहित में है अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी रामजीलाल जाटव को भा०द०सं० की धारा 294,323/34 दो शीर्ष एवं 506 भाग-2 एवं आरोपीगण चंद्रशेखर जाटव एवं बनवारी जाटव को भा०द०सं० की धारा 294,323,323/34 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा बांस की लाठी मूल्यहीन होने से तोड़-तोड़ कर नष्ट की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1-

क.2-

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क०21 गोहद